टेंडर शुल्क व गारंटी राशि ऑनलाइन जमा होगी

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

ई-टेंडरिंग के तहत अब टेंडर शुल्क और धरोहर धनराशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। वहीं धरोहर राशि की वापसी भी ऑनलाइन तरीके से सीधे खाते की जाएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री व आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दी है।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को प्रदेश में ई-टेंडरिंग के लिए नामित नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, वित्त विभाग और आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग के समन्वय से लागू किया जाएगा। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक तथा सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बीच एक करार हुआ है। अब निविदा डालने वाले निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग या एनईएफटी/आरटीजीएस से कर सकेंगे।

उन्होंने बताया है कि सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के टेंडर शुल्क व धरोहर राशि को जवाहर भवन लखनऊ स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खातों में जमा किया जाएगा।